बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री लालप्रताप सिंह, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, भगवानपुर हाट, जिला– सिवान को दिनांक– 30.06.2018 को Zee TV (बिहार/झारखण्ड) पर प्रसारित Video Clip जिसमें श्री सिंह के द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता से पंजी सत्यापन के नाम पर राशि वसुली की बात स्पष्ट होने तथा इस पर संज्ञान लेते हुए इनके विरूद्ध भगवानपुर हाट थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी जिसका काण्ड संख्या– 139/18 है । प्रथमदृष्टया यह मामला अत्यंत ही संवेदनशील एवं गंभीर होने एवं अनुमंडल पदाधिकारी, महाराजगंज द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा के आलोक में जिला पदाधिकारी, सिवान के आदेश ज्ञापांक– 426/जि0आ0 दिनांक 02.07.2018 द्वारा श्री लालप्रताप सिंह, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, भगवानपुर हाट, जिला– सिवान को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है

2. श्री लालप्रताप सिंह, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, भगवानपुर हाट, जिला– सिवान के उपर्युक्त निलम्बन आदेश को निम्नांकित आंशिक संसोधन के साथ सम्पुष्ट किया जाता है :–

निलम्बन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय जिला आपूर्ति कार्यालय, सिवान के स्थान पर उपनिदेशक, (खाद्य), तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर का कार्यालय निर्धारित किया जाता है ।

ह0/–
(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक–प्र08गो0आ0 (सिवान)–30/2018 /खाद्य,पटना/दिनांक

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, सिवान को उनके कार्यालय आदेश संख्या– 426/जि0आ0 दिनांक– 02.07.2018 के आलोक में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक–प्र08गो0आ0 (सिवान)–30/2018 3588/खाद्य,पटना/दिनांक 25/07/18

प्रतिलिपि– उपनिदेशक (खाद्य), तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिवान/विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रशाखा–03/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/श्री लालप्रताप सिंह, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, भगवानपुर हाट, जिला– सिवान को सूचनार्थ प्रेषित ।

25/7/2018
सरकार के सचिव ।

D:\backup\Year_2016\PK\sec-08 (08-09-2016)\sec_SVOT_ord.doc AKS